

Filling no. RCS-A/549/2017

// 1//

सिविल वाद क्रमांक 152 ए/2017

**न्यायालय:-प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 के न्यायालय के द्वितीय
अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 भिण्ड (म0प्र0)**

(समक्ष-ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ला)

Filling no. RCS-A/549/2017

CNR no. MP30010048062017

सिविल वाद क्रमांक 152 ए/2017

संस्थित दिनांक :-29.08.2017

मुकुन्दी बाल्मीक पुत्र जगदीश बाल्मीक, उम्र-26 वर्ष,
निवासी-ग्राम महापुर, थाना-बरोही,
तहसील अटेर, जिला-भिण्ड (म0प्र0)

.....वादी

//बनाम//

1. गंगाराम बाल्मीक पुत्र स्व0 रामलाल,
उम्र-80 वर्ष, निवासी-ग्राम महापुर, तहसील अटेर,
जिला-भिण्ड (म0प्र0)

.....मूल प्रतिवादी

2. श्रीमती कलावती पत्नी हरिकिशुन बाल्मीक
उम्र-60 वर्ष, निवासी-ग्राम महापुर, तहसील अटेर,
जिला-भिण्ड (म0प्र0)

3. म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर,
जिला-भिण्ड (म0प्र0)

.....तरतीबी प्रतिवादीगण

वादी द्वारा अधिवक्ता श्री राजेश उपाध्याय।
प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा श्री बृजेन्द्र सिंह नरवरिया अधिवक्ता।
प्रतिवादी क्रमांक 2 व 3 एकपक्षीय।

//आदेश//

(आज दिनांक **06.12.2017** को घोषित)

1. इस आदेश से वादी पक्ष द्वारा प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा आवेदन अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सी0पी0सी0 आई0ए0 नंबर 1/17 का निराकरण किया जा रहा है।

2. इस मामले में ग्राम ऐंतहार, राजस्व मण्डल पीपरी, विकास खण्ड अटेर, तहसील व जिला-भिण्ड स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 1199 क्षेत्रफल 0.22 हेक्टेयर, सर्वे क्रमांक 1227 क्षेत्रफल 0.32 हेक्टेयर कुल क्षेत्रफल 0.54 हेक्टेयर एवं ग्राम अमलेहड़ा, तहसील अटेर, जिला-भिण्ड स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 523 क्षेत्रफल 0.07 हेक्टेयर (एतस्मिन् पश्चात् **“विवादित भूमियाँ”** से निर्दिष्ट) पर वादी के अंश के संबंध में स्वत्व की घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का विवाद है।

3. आवेदन संक्षेप में यह है कि विवादित भूमियाँ वादी के सगे बाबा प्रतिवादी क्रमांक 1 व उनके भाई हरिकिशुन (मृत) की भूमियाँ हैं, हरिकिशुन की मृत्यु के बाद उनकी विधवा प्रतिवादी क्रमांक 2 कलावती का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज है और

सम्पूर्ण विवादित भूमियों में प्रतिवादी क्रमांक 1 के पौत्र के नाते वादी का जन्म से हक व हित है। प्रतिवादी क्रमांक 1 परिवार का मुखिया है, वर्तमान में वह वादी के चाचा राघवेन्द्र व जसवन्त के साथ रहता है और बिना किसी पारिवारिक आवश्यकता के प्रतिवादी क्रमांक 1 विवादित भूमियों के विक्रय हेतु प्रयासरत् है। प्रतिवादी क्रमांक 1 ने बिना किसी आवश्यकता के अपने स्वत्व की कुछ भूमियाँ विक्रय भी कर दी हैं, पूरा पैसा वादी के चाचा लोगों को दे दिया है जिन्होंने जुआ व शराब की लत में पूरे पैसे खर्च कर दिये हैं और वादी के चाचा अपना कर्जा पटाने के लिए प्रतिवादी क्रमांक 1 से विवादित भूमियाँ भी विक्रय कराना चाहते हैं। विवादित भूमियों को विक्रय कर देने की दशा में वादी का हित प्रभावित होगा और वादी अपने अंश से वंचित हो जाएगा। दिनांक 02.08.2017 को वादी ने रिश्तेदारों के माध्यम से पंचायत भी करवाई, किन्तु प्रतिवादी क्रमांक 1 ने पंचायत में कहा कि उसे जमीन बेचने से कोई नहीं रोक सकता है और विवादित भूमियों पर वादी का जन्म से ही हक व हित होने से विवादित भूमियों पर वादी के अंश की घोषणा व निषेधाज्ञा हेतु वाद संस्थित किया गया है। प्रथम दृष्ट्या मामला वादी के पक्ष में है, विवादित भूमियों के विक्रय हो जाने की दशा में वादी को अपूर्णनीय क्षति होगी और आवेदन स्वीकार कर वाद के लम्बनकाल तक विवादित भूमियों के विक्रय या अन्यथा हस्तांतरण पर रोक लगायी जाये।

4. प्रतिवादी क्रमांक 1 का जवाब संक्षेप में यह है कि विवादित भूमियाँ संयुक्त परिवार की सम्पत्ति नहीं हैं, बल्कि प्रतिवादी क्रमांक 1 के स्वत्व की स्व अर्जित भूमियाँ हैं जिसमें वादी का कोई अंश या स्वत्व नहीं है। वादपत्र झूठे एवं मनगढ़ंत तथ्यों के आधार पर संस्थित किया गया है, विवादित भूमियाँ स्व अर्जित सम्पत्ति हैं जिन पर प्रतिवादी क्रमांक 1 के जीवनकाल में वादी या अन्य किसी का कोई हक व हित नहीं है और वादी के पक्ष में कोई मामला नहीं होने से सुविधा का संतुलन भी वादी के पक्ष में नहीं है। अतः अस्थायी निषेधाज्ञा आवेदन खारिज किया जाये।

5. आवेदन के निराकरण हेतु विचारणीय बिंदु यह है कि:-

1. क्या प्रथम दृष्ट्या मामला वादी के पक्ष में है ?
2. क्या सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष में है ?
3. क्या अस्थायी निषेधाज्ञा जारी न किए जाने से वादी को अपूर्णनीय क्षति होना संभाव्य है ?

निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के आधार

विचारणीय बिन्दु क्रमांक 1 से 3 :-

6. वादी की ओर से अस्थायी निषेधाज्ञा आवेदन के समर्थन में कमल किशोर व गंगा सिंह के शपथपत्र व सूची अनुसार दस्तावेज खसरा, भू अधिकार व ऋण पुस्तिका की प्रतियाँ पेश की गयी हैं।

7. सम्पूर्ण वादपत्र के अभिवचन के सम्यक् अवलोकन से यह तथ्य प्रकट है कि स्वयं वादी के अनुसार विवादित भूमियाँ वादी के बाबा प्रतिवादी क्रमांक 1 गंगाराम व प्रतिवादी क्रमांक 2 के मृत पति हरिकिशुन की भूमियाँ हैं। सम्पूर्ण वादपत्र में ऐसा कोई अभिवचन नहीं है कि विवादित भूमियाँ प्रतिवादी क्रमांक 1 गंगाराम व प्रतिवादी क्रमांक 2 के मृत पति हरिकिशुन बाल्मीक को कैसे प्राप्त हुयी और वादपत्र में ऐसा कोई अभिवचन नहीं है कि विवादित भूमियाँ उक्त गंगाराम व उसके भाई हरिकिशुन (मृत) को अपने पूर्वजों से प्राप्त हुयी हैं।

8. वादी की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख खसरा वर्ष 2016-17 में ग्राम ऐंतहार की विवादित भूमियाँ सर्वे क्रमांक 1199, 1227 अकेले प्रतिवादी क्रमांक 1 गंगाराम के नाम पर दर्ज है, इसी प्रकार ग्राम अमलेहड़ा की विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 523 पर प्रतिवादी क्रमांक 1 गंगाराम व उसके मृत भाई हरिकिशुन का नाम समान भाग पर दर्ज है। अभिलेख पर ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है कि विवादित भूमियाँ पूर्वजों की सम्पत्ति हैं जो विभाजन में प्रतिवादी क्रमांक 1 व प्रतिवादी क्रमांक 2 के मृत पति हरिकिशुन को प्राप्त हुयी हैं। वादपत्र के अभिवचन से ही विवादित भूमियों को किसी भी रूप में संयुक्त हिन्दू परिवार की अविभाज्य सम्पत्ति नहीं माना जा सकता है।

9. विवादित भूमि राजस्व अभिलेखों में प्रतिवादी क्रमांक 1 के नाम पर एकल भूमिस्वामी के रूप में दर्ज है और प्रतिवादी क्रमांक 1 के जीवनकाल में उसके पौत्र वादी या अन्य किसी का कोई हक व हित नहीं है। प्रथम दृष्ट्या मामला वादी के पक्ष में नहीं है, ऐसी दशा में सुविधा का संतुलन व अपूर्णनीय क्षति भी वादी के पक्ष में नहीं माना जा सकता है। अतः वादी की ओर से प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा आवेदन आई0ए0 नंबर 1/17 स्वीकारयोग्य न होने से खारिज किया जाता है। इस आदेश का मामले के गुणदोष पर कोई प्रभाव नहीं होगा।

आदेश खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ला)

(ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ला)

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 के
द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, वर्ग-2 भिण्ड
(म0प्र0)

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 के
द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश वर्ग-2 भिण्ड
(म0प्र0)